



त्रिशूर में भीषण विस्फोट: पटाखा यूनिट हादसे ने ली 12 जिंदगियां, उत्सव की तैयारियों के बीच मची अफरा-तफरी

(जीएनएस)। त्रिशूर। केरल के त्रिशूर जिले के मुंडथिवकोडु इलाके में मंगलवार को हुए भीषण विस्फोट ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। एक पटाखा निर्माण यूनिट में हुए इस धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। यह हादसा उस समय हुआ, जब प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं और आतिशबाजी के सैपल तैयार किए जा रहे थे।

बताया जा रहा है कि विस्फोट के समय यूनिट में करीब 40 लोग काम कर रहे थे। दोपहर का समय होने के कारण कर्मचारियों के लिए भोजन भी वहीं लाया गया था, जिससे एक साथ अधिक संख्या में लोग मौजूद

थे। अचानक हुए धमाके ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सात लोग किसी तरह मौके से भागने में सफल रहे, जबकि बाकी लोग धमाके और आग की चपेट में आ गए। सूत्रों के मुताबिक, जिस यूनिट में यह हादसा हुआ, वहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। माना जा रहा है कि किसी कारणवश आग लगने के बाद यह सामग्री एक साथ फट गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो। विस्फोट के तुरंत बाद इलाके में घना



धुआं और आग फैल गई, जिससे घटनास्थल पर अधजले और बिना फटे विस्फोटकों की मौजूदगी के बचाव कार्यों में भारी कठिनाई आई।

कारण राहत और बचाव टीमों को बेहद सतर्कता के साथ काम करना पड़ा। पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं की टीमों तुरंत मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया, जिनमें त्रिशूर मेडिकल कॉलेज प्रमुख है। अस्पताल प्रशासन को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, जिससे बड़ी संख्या में घायलों का इलाज तुरंत शुरू किया जा सका। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें विशेष चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। आसपास के

गांवों और कस्बों में रहने वाले लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ समय के लिए जनजीवन पूरी तरह ठहर सा गया और हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। इस हादसे पर नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और यह पता लगाने की

कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री वहां कैसे रखी गई और सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं हुआ। प्रारंभिक तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि सुरक्षा नियमों में लापरवाही या मानकों की अनदेखी इस हादसे का कारण हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पटाखा निर्माण और भंडारण से जुड़े कार्य बेहद संवेदनशील होते हैं और इनमें जरा सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। खासकर त्रिशूर पूरम जैसे बड़े उत्सव के दौरान, जब भारी मात्रा में आतिशबाजी तैयार की जाती है, तब सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना और भी जरूरी हो जाता है।

राज्य सरकार अब इस घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने की तैयारी में है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और पटाखा उद्योग से जुड़े सभी इकाइयों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन हो। यह हादसा न केवल उन परिवारों के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, बल्कि यह एक बड़ी चेतावनी भी है कि विकास और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। त्रिशूर की इस त्रासदी ने एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि लापरवाही की कीमत कितनी भारी हो सकती है।

बंधुआ मजदूरी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी रेस्क्यू के बाद भी हजारों बच्चे इंतजार में

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों पर न्यायपालिका ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को तीखी टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अब केवल कामगारों दलों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई दिखानी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव से व्यक्तिगत हस्तफतमा दखिल करने को कहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अब तक इस समस्या के समाधान के लिए वास्तविक रूप से क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत की सख्ती का मुख्य कारण ये आंकड़े हैं, जो सुनवाई के दौरान सामने आए। वरिष्ठ अधिकारिता एच एस फुल्का ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न अभियानों के तहत लगभग 11 हजार बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल 971 बच्चों को ही अब तक सरकारी अधिकारिता मिल गई है। यह आंकड़ा न केवल प्रारंभिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि रेस्क्यू के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया कितनी कमजोर है। हजारों बच्चे आज भी सरकारी मदद और पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं, जो इस पूरे तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि उन्हें



सिर्फ यह नहीं जानना है कि कितने बच्चों को बचाया गया, बल्कि यह समझना ज्यादा जरूरी है कि बचाए जाने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया। अदालत ने सरकार से सीधे तौर पर पूछा कि इस 'अभिशाप' को जड़ से खत्म करने के लिए क्या ठोस रणनीति बनाई गई है और क्या न्यायपालिका से किसी अतिरिक्त दिशा-पुर्नका ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न अभियानों के तहत लगभग 11 हजार बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल 971 बच्चों को ही अब तक सरकारी अधिकारिता मिल गई है। यह आंकड़ा न केवल प्रारंभिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि रेस्क्यू के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया कितनी कमजोर है। हजारों बच्चे आज भी सरकारी मदद और पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं, जो इस पूरे तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि उन्हें

पुनर्वास की प्रक्रिया में प्रशासनिक बाधाएं आ जाती हैं। इस पर पीठ ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बैठक कर एक सरल और केंद्र प्रणाली विकसित करे, जिससे पीड़ितों को तुरंत सहायता मिल सके। इस पूरे मामले की जड़ 2022 की एक याचिका से जुड़ी है, जब बिहार के गया जिले के कुछ मजदूरों ने अपनी आपबीती सुनाई थी। इन मजदूरों को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ईंट भट्टों पर बंधुआ बनाकर रखा गया था। उन्हें बिना पंजीकरण वाले ठेकेदारों के जरिए काम पर लगाया गया, जहां न तो उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी और न ही आने-जाने की स्वतंत्रता थी। यह स्थिति आधुनिक समय में भी गुलामी जैसी हालत को दर्शाती है। हालांकि 2019 में उन्हें मुक्त करा लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें न्याय और पुनर्वास के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, जो सिस्टम की घेरी कार्यप्रणाली को उजागर करता है। अदालत की टिप्पणी से यह साफ हो गया है कि अब केवल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती उन बच्चों और मजदूरों को समाज की मुख्यधारा में वापस

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता पर संशय, बयानबाजी से बढ़ा तनाव; ट्रंप बोले—मजबूत स्थिति में है अमेरिका

(जीएनएस)। इस्लामाबाद। पश्चिम एशिया की संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थिति एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में पहुंच गई है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित दूसरे दौर की शांति वार्ता पर संशय के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। दो सप्ताह के बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई केवल कानून के जरिए नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके के साथ-साथ पुनर्वास की मजबूत व्यवस्था भी जरूरी है। जागरूकता, सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ पुनर्वास की मजबूत व्यवस्था भी जरूरी है। जागरूकता, सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ पुनर्वास की मजबूत व्यवस्था भी जरूरी है। जागरूकता, सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ पुनर्वास की मजबूत व्यवस्था भी जरूरी है।



के भविष्य को लेकर असमंजस और गहरा गया। कुछ रिपोर्टों में यह संकेत जरूर मिले कि दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि पहले से पाकिस्तान में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर किसी ठोस प्रमति की पुष्टि नहीं हुई। इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि ईरान के साथ बातचीत के लिए अमेरिका "बहुत मजबूत स्थिति" में है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका किसी भी समझौते के लिए तैयार है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार और शेयर बाजार पर पड़ सकता है, जो पहले से ही अस्थिरता

के दौर से गुजर रहे हैं। दूसरी ओर, तेहरान की रणनीति भी कम आक्रामक नहीं दिख रही। ईरान इस वार्ता में अपने सामरिक प्रभाव का उपयोग करना चाहता है, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपने नियंत्रण को एक दबाव के साधन के रूप में देख रहा है। यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, और यहाँ किसी भी प्रकार का तनाव अंतरराष्ट्रीय बाजारों को सीधे प्रभावित कर सकता है। ईरान की कोशिश है कि वह किसी ऐसे समझौते पर पहुंचे, जिससे उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील मिले, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई कठोर अंकुश न लगे। मंगलवार को पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दोनों देशों के राजदूतों से मुलाकात कर वार्ता की संभावनाओं को जीवित रखने का प्रयास किया। यह बैठक इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब भी

2500 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा: बैंकिंग सिस्टम में सेंध, अंदरूनी मिलीभगत से खड़ा हुआ विशाल घोटाला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। डिजिटल लेन-देन के तेजी से बढ़ते दौर में साइबर अपराधों का खतरा भी उतनी ही तेजी से गहराता जा रहा है, और गुजरात के राजकोट से सामने आया 2500 करोड़ रुपये का साइबर फ्रॉड इस खतरों की गंभीरता को साफ तौर पर उजागर करता है। इस मामले में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिनमें अब निजी बैंकों के अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। यह मामला सिर्फ एक साइबर ठगी नहीं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम के भीतर तक पैठ बना चुके एक संगठित नेटवर्क की कहानी बनता जा रहा है। राजकोट ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजय गुर्जर के नेतृत्व में चल रही जांच में अब तक कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में इस मामले में तीन और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें विभिन्न निजी बैंकों के अधिकारी शामिल हैं। इनमें Yes Bank के पर्सनल मैनेजर मौरिक कामानी, Axis Bank के जामनगर स्थित मैनेजर कल्पेश डांगरिया और HDFC Bank के पर्सनल बैंकर अनुराग बाल्था शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी ने इस पूरे नेटवर्क के काम करने के तरीके को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच के अनुसार, इस साइबर फ्रॉड का पूरा ढांचा बेहद सुनियोजित तरीके से तैयार किया गया था। इसमें फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपये का लेन-देन किया जाता था और फिर उस रकम को हवाला चैनलों के जरिए आगे भेज दिया जाता



था। अब तक इस रैकेट से जुड़े 85 फर्जी बैंक खातों की पहचान की जा चुकी है, जो इस बात का संकेत है कि यह नेटवर्क कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा था। गिरफ्तार किए गए बैंक अधिकारियों की भूमिका इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई है। आरोप है कि मौलिक कामानी ने पहले से गिरफ्तार आरोपियों की मदद करते हुए संदिग्ध खातों को खोलने और उन्हें सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कई तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर इन खातों को इस तरह संचालित किया कि बड़े पैमाने पर होने वाले लेन-देन के बावजूद बैंक की ओर से जारी होने वाले अलर्ट सिस्टम को चकमा दिया जा सके। यह दर्शाता है कि सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने के साथ-साथ अंदरूनी जानकारी का भी दुरुपयोग किया गया। वहीं कल्पेश डांगरिया पर आरोप है कि उसने नकली पहचान के आधार पर प्रसन्नल मैनेजर मौरिक कामानी, Axis Bank के जामनगर स्थित मैनेजर कल्पेश डांगरिया और HDFC Bank के पर्सनल बैंकर अनुराग बाल्था शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी ने इस पूरे नेटवर्क के काम करने के तरीके को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच के अनुसार, इस साइबर फ्रॉड का पूरा ढांचा बेहद सुनियोजित तरीके से तैयार किया गया था। इसमें फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपये का लेन-देन किया जाता था और फिर उस रकम को हवाला चैनलों के जरिए आगे भेज दिया जाता

दूसरी ओर अनुराग बाल्था ने वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर इन खातों को वैधता प्रदान की, जिससे यह पूरा नेटवर्क बिना किसी संदेह के लंबे समय तक सक्रिय रह सका। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन खातों से नकदी निकालने में भी इन अधिकारियों की भूमिका सामने आई है। नकदी को बाद में हवाला के जरिए अन्य स्थानों पर भेजा जाता था, जिससे पैसे के स्रोत और गंतव्य का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता था। यह पूरी प्रक्रिया दर्शाती है कि यह केवल ऑनलाइन फ्रॉड तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें ऑफलाइन नेटवर्क और वित्तीय चैनलों का भी पूरा इस्तेमाल किया गया। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साइबर क्राइम पोर्टल पर इस रैकेट से जुड़ी अब तक 535 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। यह संख्या लगातार बढ़ भी सकती है, क्योंकि जांच के दौरान और भी पीड़ितों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर हुई ठगी ने न केवल आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता को भी चुनौती दी है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों बैंक अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि पहले से गिरफ्तार अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जा चुके हैं। जांच



गरवी गुजरात
हिन्दी



Jio Air Fiber



Jio Tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

सोशल मीडिया से साजिश तक: गुजरात ATS की कार्रवाई में उजागर हुआ खतरनाक नेटवर्क

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बार फिर यह चेतावनी सामने आई है कि आधुनिक दौर में खतरनाक विचारधाराएं किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं तक पहुंच रही हैं और उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रही हैं। गुजरात एंटी-टेरिस्ट स्क्वाड की हालिया कार्रवाई ने इस सच्चाई को और गहराई से उजागर कर दिया है, जिसमें दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो देश के खिलाफ गंभीर साजिश रचने के आरोप में जांच के घेरे में आए हैं। गुजरात ATS द्वारा की गई इस कार्रवाई में जिन दो आरोपियों को पकड़ा गया, उनमें इरफान खान पठान और मुफ्ति जाह्द अख्तर शोशामिल हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये दोनों युवक बीते कई महीनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय थे और एक सीमित लेकिन बेहद संवेदनशील समूह का हिस्सा बन चुके थे। यह समूह

कथित तौर पर भारत के खिलाफ उग्र विचारधाराओं से प्रभावित होकर चर्चाएं कर रहा था और देश में अस्थिरता फैलाने की सोच को बढ़ावा दे रहा था। जांच अधिकारियों के मुताबिक, इन युवकों का झुकाव अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन ISIS जैसी चरमपंथी विचारधाराओं की ओर था। हालांकि अभी तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इन्हें किसी बाहरी हैडक्वार्टर द्वारा सीधे निर्देश नहीं दिए जा रहे थे, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया सोशल मीडिया के जरिए हुई, जिसे सुरक्षा एजेंसियां 'सेल्फ-रेडिकलाइजेशन' के रूप में देख रही हैं। यह स्थिति इसलिए और गंभीर मानी जा रही है क्योंकि इसमें बाहरी नेटवर्क का भूमिका सीमित दिखाई देती है, लेकिन विचारधारा का प्रभाव बेहद गहरा होता है। बताया जा रहा है कि पिछले सात महीनों के दौरान ये युवक WhatsApp



और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर लगातार सक्रिय रहे और एक छोटे लेकिन दस समूह के जरिए विचारों को आदान-प्रदान करते रहे। इस समूह में करीब 12 से 13 सदस्य शामिल थे, जो एक-दूसरे से जुड़े हुए थे और देश के खिलाफ हिंसक गतिविधियों की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। सुरक्षा

से MsC के केमिस्ट्री की पढ़ाई की है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरा आरोपी मुश्दि जाह्द अख्तर शेख, 21 वर्ष का है और मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है और मुंबई में अपने भाई के साथ बिरयानी की दुकान में काम करता था। दोनों आरोपियों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनका कोई पूर्व अपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को विशेष रूप से संवेदनशील मान रही हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि किस तरह सामान्य पृष्ठभूमि के युवा भी गलत विचारधाराओं के प्रभाव में आकर देश विरोधी गतिविधियों की ओर बढ़ सकते हैं। गुजरात ATS को इस पूरे मामले में एक अहम सुचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों

आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। इरफान को सिद्धपुर से और मुश्दि को मुंबई से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क के अन्य सदस्य कौन हैं और क्या इसके तार किसी बड़े संगठन या साजिश से जुड़े हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों युवक हथियारों और फंडिंग से जुड़े विषयों पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्होंने किसी ठोस हमले की योजना बनाई थी या नहीं, लेकिन जिस तरह के विषयों पर बातचीत हो रही थी, उससे एजेंसियों को यह आशंका है कि भविष्य में यह नेटवर्क एक गंभीर खतरा बन सकता था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी और जागरूकता

कितनी जरूरी है। डिजिटल युग में जहां एक ओर जानकारी तक पहुंच आसान हो गई है, वहीं दूसरी ओर गलत और खतरनाक विचारधाराएं भी तेजी से फैल रही हैं। ऐसे में युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देना और उन्हें इन प्रभावों से बचना समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 'सेल्फ-रेडिकलाइजेशन' की प्रवृत्ति आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है, क्योंकि इसमें व्यक्ति बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के ही कट्टर विचारों से प्रभावित हो जाता है। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है और जब तक इसका पता चलता है, तब तक व्यक्ति काफी हद तक उस सोच में डूब चुका होता है। गुजरात ATS को इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। समय रहते की गई इस कार्रवाई ने संभावित खतरे

को टाल दिया है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए और अधिक सतर्कता और जागरूकता का आवश्यकता होगी। फिलहाल, दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस नेटवर्क के तार देश के बाहर तक जुड़े हुए हैं या यह केवल स्थानीय स्तर तक सीमित था। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश की सुरक्षा केवल सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि विचारों के स्तर पर भी चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में समाज, परिवार और प्रशासन को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि युवा सही दिशा में आगे बढ़ें और किसी भी तरह की भ्रामक या खतरनाक विचारधारा का शिकार न बनें।

कमजोर मानसून की आशंका के बीच सरकार का बड़ा दांव, 10 लाख टन चना खरीदकर बनाएगी बफर स्टॉक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संभावित कमजोर मानसून और वैश्विक मौसमीय प्रभावों के बीच केंद्र सरकार ने देश में दालों की उपलब्धता और कीमतों को संतुलित रखने के लिए बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। सरकार लगभग 10 लाख टन चना खरीदकर बफर स्टॉक तैयार करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में आपूर्ति संकट और महंगाई की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब मौसम विशेषज्ञों ने इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से कम रहने की आशंका जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, इस बार मानसून सामान्य से करीब 8 प्रतिशत तक कम रह सकता है। इसके साथ ही अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना भी जताई गई है, जो आमतौर पर वर्षा में कमी और सूखे जैसे हालात पैदा करता है। ऐसे परिदृश्य में दलाल फसलों, विशेषकर चना, की पैदावार पर असर पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। सरकार की इस खरीद नीति का उद्देश्य दोहरा है। एक तरफ यह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत उचित दाम सुनिश्चित करेगा, वहीं दूसरी

ओर बाजार में दालों की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद करेगा। सरकारी एजेंसियां सीधे किसानों से खरीद करेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को अधिक लाभ मिल सकेगा। चना भारत में सबसे महत्वपूर्ण दलहन फसलों में से एक है, जिसका उपयोग रोजमर्रा के भोजन में व्यापक रूप से होता है। ऐसे में इसकी कीमतों में अचानक वृद्धि आम उपभोक्ताओं के बजट पर सीधा असर डालती है। सरकार पहले भी मूल्य स्थिरीकरण के लिए बफर स्टॉक का सहारा लेती रही है, लेकिन इस बार संभावित मौसमीय जोखिम को देखते हुए पहले से तैयारी की जा रही है। हालांकि, मौजूदा आंकड़े कुछ राहत देने वाले भी हैं। वित्त वर्ष 2026 में देश में चना उत्पादन लगभग 6.2 प्रतिशत बढ़कर 11.8 मिलियन टन तक पहुंच गया है। प्रति हेक्टेयर उपज में भी 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 1,238 किलोग्राम तक पहुंची है। यह वृद्धि दर्शाती है कि किसानों ने बेहतर तकनीक और अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाया है। इसके अलावा, आयात शुल्क में वृद्धि जैसे नीतिगत फैसलों ने भी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने

में भूमिका निभाई है। लेकिन मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए केवल उत्पादन वृद्धि पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। यही कारण है कि सरकार ने अतिरिक्त भंडारण की रणनीति अपनाई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बाजार में आपूर्ति बनाए रखी जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करेगा। अगर मानसून कमजोर रहता है और उत्पादन में गिरावट आती है, तो यही बफर स्टॉक कीमतों को अनिश्चित होने से रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला एक दूरदर्शी आर्थिक और कृषि नीति का संकेत देता है, जिसमें संभावित संकट को पहले से भांपकर उसके समाधान की तैयारी की जा रही है। आने वाले महीनों में मानसून की स्थिति और बाजार की प्रतिक्रिया यह तय करेगी कि यह रणनीति कितनी प्रभावी साबित होती है, लेकिन फिलहाल यह कदम देश की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

हत्या के बाद सख्ती: धंधुका में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, सुरक्षा के बीच प्रशासन का बड़ा अभियान

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात के धंधुका में युवक धर्मेरा गामरा की हत्या के बाद उपजे तनाव के बीच अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ओवरटेक को लेकर हुए विवाद ने जिस तरह हिंसक रूप ले लिया था और दो समुदाय आमने-सामने आ गए थे, उसके बाद इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। घटना के दो दिन बाद अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध कब्जों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है, जिसे इलाके में शांति बहाल करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मंगलवार को प्रशासन की टीम थरी कृषि नीति का संकेत देता है, जिसमें संभावित संकट को पहले से भांपकर उसके समाधान की तैयारी की जा रही है। आने वाले महीनों में मानसून की स्थिति और बाजार की प्रतिक्रिया यह तय करेगी कि यह रणनीति कितनी प्रभावी साबित होती है, लेकिन फिलहाल यह कदम देश की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।



यह कार्रवाई केवल सामान्य अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हाल ही में हुए धर्मेरा गामरा हत्याकांड से भी जोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने उन स्थानों को भी चिन्हित किया है, जो आरोपियों के घरों के आसपास स्थित हैं और जहां सड़क पर अवैध कब्जे पाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन अतिक्रमणों को हटाना जरूरी है, ताकि क्षेत्र में कानून का राज स्थापित किया जा सके और किसी भी तरह की अव्यवस्था को समाप्त किया जा सके। धंधुका के उपखंड अधिकारी विद्यासागर ने स्पष्ट किया कि इस पूरी कार्रवाई के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया

गया है। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर अवैध निर्माण पाए गए, उन्हें पहले नोटिस दिए गए थे और उसके बाद ही यह अभियान चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत अवैध कब्जों को हटाया जाता है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस अभियान को विशेष प्राथमिकता दी गई है। धंधुका-बगोदरा हाईवे पर फ्लाईओवर से लेकर धंधुका चौक तक के क्षेत्र को भी प्रशासन ने चिन्हित किया है, जहां अतिक्रमण हटाने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस दौरान आरोपी के घर को भी हटाने की बात कही गई है, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति या निर्माण नहीं

टिक सकता। इस पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने कोई हिलवाई नहीं रखना है और किसी भी तरह के अवैध कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मेरा गामरा हत्याकांड के बाद जिस तरह से इलाके में तनाव फैला था, उसने तैनात किया गया है। इसके लिए दो अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हैं। हालांकि संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया है। पूरे इलाके पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। इसके अलावा मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमों को भी तैनात किया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां एक ओर कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग

इसे सख्त कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखना है और किसी भी तरह के अवैध कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मेरा गामरा हत्याकांड के बाद जिस तरह से इलाके में तनाव फैला था, उसने तैनात किया गया है। इसके लिए दो अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हैं। हालांकि संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया है। पूरे इलाके पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। इसके अलावा मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमों को भी तैनात किया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां एक ओर कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग

दावत बनी आफत: दाहोद में शायी का भोज पड़ा भारी, 400 से अधिक लोग बीमार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। खुशियों और उत्सव का माहौल कब अचानक चिंता और अफरा-तफरी में बदल जाए, इसका ताजा उदाहरण गुजरात के दाहोद जिले के अंबोलोड गांव में देखने को मिला, जहां एक शायी समारोह में शामिल सैकड़ों लोगों के लिए दावत जहरीली साबित हो गई। करीब 1200 मेहमानों की मौजूदगी में आयोजित इस शायी में भोजन करने के कुछ ही घंटों बाद 400 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम के समय गांव के लोग और दूर-दराज से आए मेहमानों ने खुशी-खुशी दावत का आनंद लिया। सब कुछ सामान्य रहा था, लेकिन भोजन के लगभग दो घंटे बाद ही कई लोगों को पेट में तेज दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ती चली गई और उल्टी-दस्त जैसे लक्षण सामने आने लगे। शुरुआत में कुछ बुजुर्ग प्रभावित हुए, लेकिन जल्द ही बच्चे, युवा और महिलाएं भी इसकी चपेट में आ गए। गांव में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर लोगों के बीमार पड़ने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हर ओर चीख-पुकार और चिंता का माहौल था। 108 एम्बुलेंस सेवाओं के



सायनर लगातार गुंज रहे थे, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी अधिक थी कि सभी को तुरंत एम्बुलेंस मिल पाना संभव नहीं था। ऐसे में परिजन अपने-अपने निजी वाहनों, बाइक, ऑटो या जो भी साधन उपलब्ध थे, उनसे बीमारों को अस्पताल पहुंचाने लगे। जैसे ही मरीजों को जाइडस अस्पताल लाया जाने लगा, वहां भी स्थिति तेजी से गंभीर होती चली गई। एक साथ सैकड़ों मरीजों के पहुंचने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। रात होते-होते मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच गई, जिससे अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ को युद्धस्तर पर काम करना पड़ा। हर तरफ मरीजों की भीड़, परिजनों की चिंता और इलाज के लिए

व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी मरीज को उपचार में कमी नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि शायी में परोसे गए भोजन में किसी प्रकार की गड़बड़ी के कारण यह सामूहिक फूड पॉइजनिंग की घटना हुई है। खासतौर पर पनीर की सब्जी और आम के रस को संदेह के दायरे में रखा गया है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर भोजन के नमूने एकत्रित कर लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर इस घटना के पीछे असली कारण क्या था। इस घटना ने एक बार फिर बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के महत्व को उजागर कर दिया है। अक्सर शायी का बड़े समारोहों में भोजन की गुणवत्ता और उसके रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका परिणाम इस तरह की गंभीर घटनाओं के रूप में सामने आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है।

गांव के लोगों के लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं है। जहां एक ओर शायी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहीं कुछ ही घंटों में पूरा माहौल चिंता और भय में बदल गया। कई परिवार अपने-अपने बीमार सदस्यों को लेकर परेशान नजर आए, जबकि कुछ लोग अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपने परिजनों की खबर का इंतजार करते रहे। फिलहाल अधिकांश मरीजों को स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है और सभी प्रभावित लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दाहोद की यह घटना एक चेतावनी भी है कि किसी भी बड़े आयोजन में भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और सुरक्षा मानकों को पालन करना कितना जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है, जैसा कि इस मामले में देखने को मिला। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

राजस्थान में “सार्थक नाम अभियान”: विद्यार्थियों के अपमानजनक नाम बदलने का प्रयास

राजस्थान में “सार्थक नाम अभियान”: विद्यार्थियों के अपमानजनक नाम बदलने का प्रयास

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। राजस्थान सरकार विद्यार्थियों के उन नामों को सुधारने का प्रयास कर रही है जिनका अर्थ “छोटा”, “काला”, “शेर” और ऐसे ही अन्य नाम हैं। अब राजस्थान के स्कूलों में ऐसे नामों की अनुमति नहीं होगी। जी हां, भारत में छोटे बच्चों को दिए जाने वाले आम “प्यार के नाम” राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने “सार्थक नाम अभियान” शुरू किया है। विभागा का अनुमान है कि सरकारी और निजी स्कूलों में ऐसे 2000 से 3000 मामले हैं। सरकार का दावा है कि यह पहल अनुचित, अस्पष्ट या नकारात्मक अर्थ वाले नामों को हटाने और उनके स्थान पर अधिक सार्थक और सम्मानजनक नामों को अपनाने के लिए शुरू की गई है। सरकार के अनुसार, कानोजोदामल, शेर्क, कालू, टिंकू जैसे पारंपरिक नामों को कृष्ण, अथर्व, आरव और अर्खंड



जैसे सम्मानजनक नामों से बदला जाना चाहिए। स्थानीय पहल समुदायों में सामाजिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं? मध्य प्रदेश के गांवों में स्थानीय पहल सामाजिक व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। अपराधों के विरुद्ध निराम लागू करके और राष्ट्रपान जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सम्मान को बढ़ावा देकर, ये पहल अधिक

सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण सामुदायिक वातावरण को बढ़ावा देती हैं। ऐसे बदलाव न केवल सार्वजनिक व्यवहार में सुधार लाते हैं, बल्कि हाशिरा पर पड़े समूहों को भी सशक्त बनाते हैं। इससे समुदाय का समय कल्याण होता है। मंत्री ने कहा कि सरकारी अभिलेखों से जाति आधारित या अपमानजनक शब्दों को हटाना अत्यंत आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट: मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध हिंदू धर्म के लिए हानिकारक हो सकता है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश की सर्वोच्च अदालत ने पिछले सप्ताह टिप्पणी की कि यदि मंदिर और मठ संप्रदाय के आधार पर प्रवेश प्रतिबंधित करते हैं और एक ही धर्म में संप्रदायों को अलग करते हैं, तो इसका हिंदू धर्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और समाज में विभाजन पैदा होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एम. वैदनाथन की इस दलील पर मौखिक टिप्पणी की कि संविधान का अनुच्छेद 26(ख) किसी धार्मिक संप्रदाय को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है और यह अनुच्छेद 25(2)(ख) पर प्राथमिकता रखता है, जो राज्य को सभी सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलने का अधिकार देता है। केरल के पेटिशनर सवरीमाला मंदिर से वैदनाथन अदालत में पेश हुए। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ने, एम.एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, आंगरत्नान जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना भी. वराले, आर.



महादेवन और जॉयमाल्य बागची की पीठ सवरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विभिन्न धर्मों को खोलने का अधिकार देता है। केरल के पेटिशनर सवरीमाला मंदिर से भगवान अय्यप्पा के भक्तों की ओर से वैदनाथन अदालत में पेश हुए। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ने, एम.एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, आंगरत्नान जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना भी. वराले, आर.

वैदनाथन से यह भी कहा कि इसीलिए हमने कहा था कि इस तर्क को बहुत ऊंचा न उठाएं। उन्होंने वैदनाथन के इस तर्क का निरूपण किया कि अनुच्छेद 26(ख) अनुच्छेद 25(2)(ख) को नियंत्रित करता है। यदि इस तरह संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर ली जाती है, तो यह हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। इसका धर्म पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह संप्रदाय के लिए प्रतिकूल होगा। यह धर्म के लिए अनुकूल होना चाहिए।

पश्चिम रेलवे दादर एवं हजरत निजामुद्दीन,के बीच चलाएगी एसी स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उनकी बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए दादर एवं हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष किराये पर एसी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनोद अतिथिक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापित के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है: ट्रेन संख्या 04001/04002 दादर-हजरत निजामुद्दीन एसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल [26 फेरे]: ट्रेन संख्या 04001 दादर - हजरत निजामुद्दीन स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को दादर से 00:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 21:35 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। यह ट्रेन 23 अप्रैल से 16 जुलाई, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार,

ट्रेन संख्या 04002 हजरत निजामुद्दीन - दादर स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन से 23:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 22:40 बजे दादर पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 अप्रैल से 14 जुलाई, 2026 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रत्नाम, कोटा, गंगापूर सिटी, मथुरा एवं कोसी कलां स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर श्रेणी के कोच होंगे। ट्रेन संख्या 04001 की बुकिंग 22.04.2026 से सभी पीआरएस कार्डटो तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, उद्धार एवं दादर से 00:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा कोटा के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे भूमि से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई एवं चोरी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई

(जीएनएस)। रेल सुरक्षा बल की अंकेलेश्वर टीम द्वारा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए रेलवे भूमि पर लगे पेड़ों की अवैध कटाई एवं चोरी में संलिप्त 09 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित के अनुसार दिनांक 18.04.2026 को वडोदरा मंडल के कोसाड और गोठनगाँव रेलवे स्टेशनों के मध्य रेलवे भूमि से पेड़ों को काटकर चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात रेल सुरक्षा बल,अंकेलेश्वर की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की गई, जिसमें 09 आरोपियों को रौं हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के कब्जे से रेलवे के बबूल के पेड़ों की



लकड़ी बरामद की गई, जिसका कुल मूल्य 21,985 किलोग्राम तथा अनुमानित वजन 1,31,910/1 है। इसके अतिरिक्त चोरी में प्रयुक्त 02 ट्रक, एक इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन तथा 02 कुल्हाड़ियाँ भी जब्त की गईं। इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 3 रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा)

अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 19.04.2026 को मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच रेल सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार 09 आरोपियों में से 02 को वर्तमान में न्यायिक अपिरक्षा में रखा गया है, जबकि शेष 07 आरोपियों को माननीय रेलवे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है। वडोदरा मंडल के रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा हेतु इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।